

जलदाय विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक से ठगी

अनपढ़ युवक के बैंक खाते व आधार कार्ड का इस्तेमाल कर ठगों ने 2.83 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की

श्रीगंगानगर, (निर्सं)। जलदाय विभाग में नौकरी लगवाने का लालच देकर एक अनपढ़ युवक से बैंक खाता लेकर 2 करोड़ 83 लाख रूपए की साइबर ठगी में दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पीड़ित को पता तब चला जब महाराष्ट्र पुलिस ने फोन कर साइबर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी। पीड़ित को बैंक ने भी फोन कर बुलाया। पीड़ित को बैंक मैनेजर ने बताया तो वह घबरा गया। इसके बाद पीड़ित ने सदर, साइबर थाना और आखिर में एसपी को परिवार दिया। एसपी के आदेश से पुरानी आबादी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी जांच हैड कांस्टेबल कमलेश मीणा को सौंपी गई है।

जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी सुखवंत सिनेमा के निकट निवासी वीरेंद्र पुत्र शिशीलाल और जवाहरनगर निवासी रोहित गोयल के खिलाफ साइबर ठगी व थोखाघड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में पीड़ित 3 बी निवासी 20 वर्षीय रमेशकुमार भाट पुत्र मंगतराम को आरोपी वीरेंद्र ने जलदाय विभाग में

नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर उससे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट आदि ले लिए। यह बैंक अकाउंट लेविंग था, इसलिए इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट के कारण आरोपी ने पीड़ित को फिर से बुलाकर जेसीटी मिल की एसबीआई शाखा में करंट अकाउंट खुलाया। इस बैंक अकाउंट की पास बुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड आरोपी ने अपने पास रख लिए। खाते की देशभर के 95 पीड़ितों ने करवा रखी है साइबर शिकायत जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल कमलेश मीणा ने बताया कि पीड़ित के इस एसबीआई के करंट अकाउंट की देशभर के 95 लोगों की ओर से साइबर शिकायत विभिन्न थानों में और टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करवा रखी है। बैंक की स्टेटमेंट लेने के बाद पता चलेगा कि इस करंट खाते में आई 2 करोड़ 82 लाख 95 हजार 422 रूपए की रकम कितने लोगों के खातों से ट्रांसफर हुई है।

जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल कमलेश मीणा ने बताया कि 2 मई से 8 अक्टूबर 2024 तक 5 माह के दौरान इस खाते में इतना अधिक

पीड़ित को पता तब चला जब महाराष्ट्र पुलिस ने फोन कर साइबर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी

ट्रांजेक्शन हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में इसे 8 अक्टूबर को फ्रीज करवा दिया। अकाउंट का अटेंच नंबर आरोपी वीरेंद्र का दिया हुआ था। महाराष्ट्र पुलिस ने उसे ही मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी तो आरोपी ने गलत नंबर बताया। महाराष्ट्र पुलिस ने बैंक मैनेजर को फोन किया। मैनेजर ने पीड़ित को बुलाकर सारी बात बताई। रमेश भाट जिसके खाते का दुरुपयोग हुआ। आरोपी वीरेंद्र ने इस बैंक अकाउंट को आगे साइबर फ्रॉड करने वाले जवाहरनगर निवासी रोहित गोयल को बेच दिया। इस बैंक खाते में 2 मई से 8 अक्टूबर 2024 तक की अवधि में 2 करोड़ 82 लाख 95 हजार 422 रूपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। आरोपी

वीरेंद्र को पुलिस ने तत्काल ही शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी रोहित गोयल गायब हो गया है। उसकी तलाश से आगे मामले का खुलासा होगा कि इस चेन में कौन-कौन शामिल है।

पीड़ित रमेश भाट ने पुलिस परिवार में बताया कि वह अनपढ़ है और गांव में मजदूरी करके जीवन यापन करता है। उसके कमर में दर्द था। उसे किसी ने बताया कि पुरानी आबादी में सुखवंत सिनेमा के निकट रिवैंड उर्फ वीरेंद्र नाम का युवक है जो कमर दर्द का दवा देसी तरीके से इलाज करता है। पीड़ित उसके पास इलाज करवाने पहुंचा। बातचीत में आरोपी ने पीड़ित से कामकाज के बारे में पूछा। इसके बाद उसने कहा कि वह उसे जलदाय विभाग में हेल्पर की पक्की नौकरी लगाव देगा। उसकी बातों पर विश्वास कर पीड़ित ने उसे अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि दस्तावेज असली सौंप दिए। कुछ दिन बाद ही आरोपी ने नया बैंक अकाउंट खुलवाने को कहा। उसने पीड़ित को साथ ले जाकर जेसीटी मिल के निकट

एसबीआई की शाखा में उसका करंट अकाउंट खुलावा दिया। इसकी पासबुक, चेकबुक, एटीएम आरोपी ने अपने पास रख लिए।

अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करावा दिया। इसके बाद खाते में रूपए आते और आरोपी निकालकर इस्तेमाल करते रहे। पीड़ित रमेश भाट ने बताया कि बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद उसे अपने साथ हुए धोखे की जानकारी मिली। उसने आरोपी वीरेंद्र से बात की तो उसने धक्के देकर भगा दिया और गालियां भी दी। फिर पीड़ित ने अपने गांव में परिचित को बताया। परिवार सदर थाने में दिया। वहां से साइबर थाने भेज दिया। दोबारा परिवार लिखवाकर साइबर थाने में दिया, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद एसपी को परिवार दिया। एसपी ने पुरानी आबादी थाने को 9 दिसंबर को पत्र लिखकर मामले की प्रारंभिक जांच करने को कहा। प्रारंभिक जांच में पीड़ित को साइबर फ्रॉड में भूमिका सामने नहीं आई। इसकी रिपोर्ट पर अब 29 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है।

सायबर ठग गिरोह को खाता उपलब्ध कराने वाले गिरोह से जुड़े चार आरोपी छात्र गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। फर्जी खाते खलवाकर साइबर ठग गिरोह को खाता उपलब्ध करवाने वाले गिरोह से जुड़े चार आरोपी छात्रों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस चारों आरोपियों के मोबाइल ट्रांजेक्शन को खंगाल रही है। इन चारों आरोपियों से पुलिस को करोड़ों रूपए की चैट मिली है, हालांकि साइबर थाना पुलिस विश्लेषण में जुटी है।

जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व ही साइबर थाना पुलिस ने इसी गिरोह के चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना पुलिस सभी 8 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है।

आईपीएस गोपीनाथ शरण कांबले

सायबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराते थे आरोपी छात्र, चार मोबाइल जब्त

पुलिस चारों आरोपियों के मोबाइल ट्रांजेक्शन को खंगाल रही है, इनमें करोड़ों रूपए की चैट मिली

ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह में शामिल सुभाष नगर भीलवाड़ा निवासी शुभम सिंह, शुभम खटीक, ललित सिंह और हर्षित सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चार मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह सभी आरोपी भी कमीशन पर अकाउंट खोलकर साइबर ठगों तक अकाउंट्स व सिम कार्ड बेचा करते थे। निचले लोगों को करीब 4 से 8 हजार का कमीशन देकर उनके डॉक्यूमेंट से अकाउंट और सिम कार्ड खलवाकर आगे भेजते थे।

पांच करोड़ से ज्यादा की चैट मिली

:-आईपीएस श्रवण कांबले ने बताया कि गिरफ्तार चारों अन्य आरोपियों की कॉल डिटेल्स और ट्रांजेक्शन सहित चैट्स खंगाली जा रही है। इनमें से एक आरोपी की चैट में 5 करोड़ से ज्यादा की चैट मिली है। हालांकि इसे लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। यह सभी 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से 1 साल से कनेक्ट में थे। सभी आपस में एक दूसरे को अकाउंट्स बेचने का काम करते थे। बाद में उन अकाउंट्स को आगे साइबर ठगी और अन्य गतिविधियों के लिए भेजा जाता था। आरोपियों के मोबाइल नंबर भी साइबर ठगी से जुड़े

हुए हैं। साइबर थाना पुलिस की जांच में यह सामने आया कि पकड़े जा रहे आरोपी सभी पढ़े लिखे हैं। गिरफ्तार शुभम सिंह वीए कर रहा है। शुभम खटीक 10 वर्षीय हैं। हर्षित सिंह 12 जमी पास तो वहीं ललित बीसीए पास है।

आरोपियों ने अलग-अलग बैंक में खलवाए खाते :-आईपीएस श्रवण कांबले ने बताया कि हर अकाउंट की आरोपियों के द्वारा अलग कीमत रखी जाती थी। जिस अकाउंट में जितना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है उस अकाउंट को कीमत सबसे ज्यादा होती है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि कोई-कॉन्टैक्ट अकाउंट को यह सभी आरोपी 4 लाख रूपए में बेचा करते थे। सर्किट अकाउंट 50 हजार तो वहीं करंट अकाउंट को दो से तीन लाख रूपए में बेचा करते थे। इन चारों आरोपियों ने सुदुर के नाम पर भी 5 से 6 अकाउंट अलग-अलग बैंक में खुला रखे थे।

प्राचार्य व कम्प्यूटर ऑपरेटर रिश्तव लेते गिरफ्तार

जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ ईकाई ने डॉ. रामावतार प्राचार्य श्री बाबा मस्तनाथ वीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ वीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को पांच हजार रूपये रिश्तव लेते रहे हाथों गिरफ्तार किया है।

ब्रह्मचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी हनुमानगढ़ को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी प्राचार्य रामावतार द्वारा वीएड के ऑफलाईन फार्म जमा करवाने की एवज में यूनिवर्सिटी के नाम से परिवारी से पांच हजार रूपये रिश्तव की मांग परेशान कर रहा था। जिस पर ए.सी.बी. चौकी उपाह्वानिक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में ए.सी.बी. हनुमानगढ़ के पवन कुमार मीणा अति. पुलिस

60 लाख की अवैध शराब बरामद

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर प्रामीण की ओसियां थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ट्रक से 830 कार्टून अवैध शराब बरामद की है। पंजाब निर्मित अवैध शराब की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 60 लाख रूपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक ट्रक को भी बरामद किया गया है। वहीं आरोपी से अवैध शराब तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि ओसियां थाना पुलिस की ओर से अवैध शराब तस्करी को लेकर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया गया। पूछताछ में ड्राइवर ने ट्रक में आलू के कट्टे होना बताया। शक होने पर ट्रक को तलाशी ली गई। इस दौरान ट्रक के अंदर अवैध शराब मिली। ट्रक में कुल 830 कार्टून भरे थे। इस पर मामला दर्ज कर आरोपी किशोर कुमार पुत्र चूनाराम जाट निवासी वीणाद आलमपुर, पुलिस थाना धनाऊ, जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया।

3900 किलो मादक पदार्थ नष्ट किया

भीलवाड़ा, (निर्सं)। भीलवाड़ा जिला पुलिस द्वारा एनडीपीएस प्रकरणों में पकड़े गए अवैध मादक पदार्थ निस्तारण के लिए चलाए गए अभियान के तहत 129 मामलों के जन्त करीब 3900 किलो ड्रग सामग्री नष्ट की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेश यादव ने यह जानकारी दी।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल बिल्डिंग रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष सं. 0294-2421255, 2420133, Helpline नं.0294-2426362 वेबसाइट- www.udajpurmc.org
क्रमांक- 0294/2024-25 / ई-31 दिनांक - 31/01/2025
(ई-भूगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई-31/2024-25
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु कुल राशि रु. 108.48 लाख के कुल 09 कार्यों हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्वेस्ट्र प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के कार्यों की प्रारम्भ तिथि 31.01.2024 एवं अंतिम तिथि 10.02.2025 तथा निविदा खुलने की तिथि 11.02.2025 रविवार तिथि वा संवत्ति अन्त्य सम्पन्न विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.raajasthan.gov.in, www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं। **UBN No. UNP2425WSOB00179**
राज.संवा.द/सी/24/11109 अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, उदयपुर

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड गिनारल्स लिमिटेड
(इसका स्वतंत्र का उद्घाटन अधिनियम संख्या 04, 1997, अधिनियम संख्या 35/1997 (अन.)
उपान संख्या: (0294)242768/242763-67, उपाख: (0294)242768, 242769
दिनांक - 30/01/2025

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या एवं दिनांक कार्य का विवरण
15/2024-25 गिरल विन्साइट्ट बदाम, बाढ़मेर (राजस्थान) पर 100 MT समता वाले के-बिज की आपूर्ति, स्वामिन, कर्मिनिग एवं परीक्षण हेतु।
UBN No. अनुमानित मात्रा - 1, धरोहर राशि (रु. में) 90,000/-, निविदा प्रपत्र MML2425GLOB00195 मूल्य (रु. में) 1180/-

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsam.com / www.sppp.raajasthan.gov.in अथवा उप महासंचालक (एम्प्लेम) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें।
ह.रा.ब.द.सी/24/11079 **डा. महासंचालक (एम्प्लेम)**

कार्यालय नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)
E-Mail लि. - np.sangod05@gmail.com Phone No. - 07450-294239
क्रमांक- नं.पासा/सो/2025/262 दिनांक- 29/01/2025

ई-निविदा-सूचना
(इसका स्वतंत्र का उद्घाटन अधिनियम संख्या 04, 1997, अधिनियम संख्या 35/1997 (अन.)
उपान संख्या: (0294)242768/242763-67, उपाख: (0294)242768, 242769
दिनांक - 30/01/2025

ई-निविदा सूचना

इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 261 दिनांक 29.01.2025 के द्वारा कुल 7 कार्यों की अनुमानित लागत 39.65 लाख की विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों में सहाय अर्थों में पंजीकृत संवेद्यों के ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित सम्पूर्ण विवरण <http://eproc.raajasthan.gov.in> व www.sppp.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

Work No.	UBN No.	Work No.	UBN No.
1	DLB2425WSOB15826	5	DLB2425WSOB15831
2	DLB2425WSOB15827	6	DLB2425WSOB15832
3	DLB2425WSOB15829	7	DLB2425WSOB15834
4	DLB2425WSOB15830		

प्रशासक अधिशाही अधिकारी
नगरपालिका सांगोद नगरपालिका सांगोद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त-बीकानेर
को.0151-2226454 ई-मेल- sephedbkn@gmail.com
दिनांक-16.01.2025
क्रमांक-ए.सी.बी./303/1/24-25/10425

निविदा सूचना संख्या 03 से 12/2024-25
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु मोहम्मद लिफाके में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा एकांत लिफाका पद्धति के अनुसार होगी। इस कार्य का निविदा प्रपत्र इरा कार्यालय द्वारा दिनांक 20.01.2025 दोपहर 11.00 बजे से दिनांक 13.02.2025 शाम 6.00 बजे तक डाउनलोड/उपलोड की जा सकती है तथा दिनांक 14.02.2025 को 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र शुद्ध एवं धरोहर राशि ई-चालान के रूप में निविदा प्रपत्र में वरीत पत्र में देय हो, जमा करनी होगी। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.sppp.gov.in व <http://eproc.raajasthan.gov.in/> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। शर्त सहित निविदा मान्य नहीं होगी। डाक द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
जल सीमित है, इसकी बचत करें

(वैशाली सिंह) अधीक्षण अभियन्ता
जन. स्वा. अभि. विभाग, वृत्त-बीकानेर
DIPRC/1059/2025

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड कोलायत
क्रमांक-3156-57 दिनांक-23.01.2025

Notice Inviting Bid-69 to 78/2024-25
Bid for various works are invited to registered interested bidders upto 01.02.2025 at 18.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.raajasthan.nic.in & <http://eproc.raajasthan.gov.in/> of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 273.17 lacs.

NT No.	69	70	71	72	73
UBN No.	PHE2425 WS0B08487	PHE2425 WS0B08489	PHE2425 WS0B08491	PHE2425 WS0B08493	PHE2425 WS0B08495
NT No.	74	75	76	77	78
UBN No.	PHE2425 WS0B08498	PHE2425 WS0B08499	PHE2425 WS0B08503	PHE2425 WS0B08504	PHE2425 WS0B08506

जल सीमित है, इसकी बचत करें (धर्मेश कुमार) अधिशाही अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड कोलायत
DIPRC/1081/2025

राजस्थान सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान आबकारी भवन 2 गानियावाड़ा, पंचवटी, उदयपुर-313001
क्रमांक-F.32(B)(1)AP/EX/L/2024-25-03000 part(6)/1474 दिनांक-31.01.2025
पडत मदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दूकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आमंत्रित ई-निविदा सूचना में संशोधन
इस कार्यालय की समस्त वेबसाईट पर दिनांक 28.01.2025 में उल्लेखित सारणी के क्रम संख्या 1 से 3 तक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-
1 निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने के दिनांक 03.02.2025 दोपहर 3.00 बजे से
2 निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने के दिनांक 05.02.2025 दोपहर 3.00 बजे तक
3 वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक, समय व दिनांक 05.02.2025 को दोपहर 4.00 बजे से संबंधित छिटा आबकारी अधिकारी कार्यलय।
अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।
EXC2425GLOB00172
(शिवप्रसाद नकाते) आबकारी आयुक्त, राजस्थान
DIPRC/1381/2025

खेत में की जा रही अफीम की खेती पर पुलिस का छापा

डीडवाना, (निर्सं)। डीडवाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए अफीम के 20000 पौधे जब्त किये हैं। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नगरे की वक्तुओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि मौलासर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की फसल बोई गई है, जिसे बाजार में बेचे जाने की योजना है। इस पर थाना अधिधिकारी जिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम ने खेत

खेत से अफीम के 20000 पौधे किए जप्त, आरोपी गिरफ्तार

अफीम की खेती करके बाजार में बेचने वाला था आरोपी

पर छापा मारा, जहाँ से आरोपी मानाम को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 2400 वर्गफुट में अफीम की खेती पाई गई। इस दौरान पुलिस ने मौके से अफीम के 20000 पौधे जब्त किए, जिन्हें आरोपी बाजार में बेचने वाला था पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पाँक्सो अधिनियम में अभियुक्त को बरी किया

अजमेर, (कासं)। विशिष्ट न्यायालय (पाँक्सो अधिनियम) संख्या-2, अजमेर रजेंद्र सिंह की अदालत द्वारा प्रकरण सकार बनाम भागचंद में अभियुक्त भागचंद गुर्जर को सभी आरोपों से बरी किया गया।

प्रकरण में भागचंद पर कथित पीड़िता का अपहरण करके अहमदाबाद ले जाकर ढाई महीनों तक निरंतर बलात्संग करने का आरोप था। एडवोकेट डॉ. दीपक मूलचंदानी ने बताया कि प्रकरण में अभियुक्त की निर्लिप्तता और उसके निर्दोष होने के समस्त साक्ष्यों को परिलक्षित करने में सुलभता के लिए उच्च पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अंतिम बहस में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कथन किया कि अभियोजन वक्त घटना पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम की होना साबित करने में असफल रहा है और न्यायालय ने यह भी माना कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र अवलोकन से अभियोजन की कहानी पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है। ऐसे में विसंगतिपूर्ण कथनों एवं साक्ष्यों के प्रकाश में अभियुक्त पर किसी प्रकार का आरोप साबित नहीं होता है और संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी किया गया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता डॉ. दीपक मूलचंदानी व नितीशा दाशीकर एडवोकेट की ओर से की गई।

The Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.
Udyog Bhaban, Tika Marg, C Scheme, Jaipur-302005 Phone: 0141-2227267 Fax 0141-2227257
Website: industries.raajasthan.gov.in/rjsico E-mail: rjsico@industries.raajasthan.gov.in
CIN: U91100RJ1965G0001118

ई-निविदा सूचना

निगम में संविदा पर (आउट सोर्स) कमी उपलब्ध कराने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों से डि-प्रकॉमी मोडर्न बन्ड ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा eproc.raajasthan.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी। निविदा प्रपत्र eproc.raajasthan.gov.in के माध्यम से प्राप्त कर सके। अन्य विवरण एवं जानकारी निगम की Website: industries.raajasthan.gov.in/rjsico या sppp.raajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। **UBN No. -RS12425SLOB00041**
ह.रा.संवा.द/सी/24/11136 **वित्त सेवा विभाग (कर्मांक)**

कारों में भिड़ंत, एक की मौत

बीकानेर, (निर्सं)। बीकानेर में हुए एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। स्पीड में कार डिवाइडर पर करते हुए सामने से आ रही दूसरी कार से जा टकराई। घटना जिले के गंगाशहर थाना क्षेत्र में शाम 4:30 बजे नोखा रोड की है। हादसा एसबीआई बैंक के सामने हुआ। इस टक्कर में 7 लोग घायल हो गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि दो कारों की टक्कर होते ही तेज आवाज आई। इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला और हॉस्पिटल भिजवाया। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान मारुति कार काफ़ी स्पीड में थी। ये पुरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि मारुति स्पीड में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर कर गई और सामने से आ रही इनोवा कार से टकरा गई। हादसे में गंगाशहर निवासी जितेंद्र स्वामी पुत्र पुखराज की मौत हो गई।

ऑनलाइन जाँब का झांसा देकर लाखों की ठगी

अजमेर, (कासं)। अजमेर में युवक-युवतियों को ऑनलाइन जाँब दिलवाने का झांसा देकर शांति ठगों ने लाखों रूपए की धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली। पीड़ितों ने शुक्रवार को एसपी वंदिता राणा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की।

एसपी वंदिता राणा को सौंपे ज्ञापन में पीड़ित उदयगंज निवासी माधुरी सांवरिया ने बताया कि सूरज नामक युवक ने उसे और उसके मित्र पवन से संपर्क किया और ऑनलाइन जाँब दिलवाने का भरोसा दिलाया। इसके बदले सूरज ने व्यक्ति से साढ़े 12 हजार रूपए का टोकन अमाउंट लिया और ढाई हजार रूपए कंसल्टेंसी फीस के रूप में वसूल किए। इसके बाद सूरज ने पीड़ितों से 37 हजार 500 रूपए और लिए थे। समय बीतने के बावजूद जाँब नहीं मिलने पर पीड़ितों ने सूरज से संपर्क किया, लेकिन वह

संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बाद में आरोपी ने पीड़ितों को फर्जी कंपनी में इंटरव्यू दिलवाकर और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवा कर उन्हें और पैसे देने के लिए मजबूर किया।

पीड़ितों ने बताया कि आरोपी शांति राणा ने हर व्यक्ति को 35 से 40 हजार रूपए प्रति माह सैलरी का झांसा दिया था। पीड़ितों ने बताया कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद वे आरोपी के घर गए और उसकी मां को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी की मां ने कुछ पैसे लौटा दिए। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने उनके दस्तावेजों का गलत तरीके से उपयोग कर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।

सायबर ठगी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार : जुरहरा में स्थानीय थाना पुलिस ने मुखबार की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते

JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JODHPUR
E-Auction Programme of Residential, Commercial, Multistory, Facility Plots (Club House, School, Community Centre, Training Centre, Kinder Garten, Dispensary Etc.) Plots in Jodhpur (February-April) 2025
क्रमांक -एफ646/नीलामी/2025/जनवरी/13262702 दिनांक - 29.01.2025

भूखण्डों की भव्य ई-नीलामी
दिनांक 12.02.2025 से 24.04.2025 तक

204 आवासीय, व्यावसायिक, मल्टीस्टोरी एवं सुविधा क्षेत्र में स्थित (क्लब हाउस/कम्प्युनिटी सेंटर/किंडर गार्टेन स्कूल/डिस्पेंसरी) भूखण्ड

गंगा विहार योजना में कुल भूखण्ड (43.22 वर्ग मीटर से 256.51 वर्ग मीटर)	राज्य कर्मचारी आवासीय योजना ग्राम मोगड़ा कला योजना में कुल भूखण्ड (41.82 वर्ग मीटर से 250.93 वर्ग मीटर)	उद्योग विहार औद्योगिक योजना में कुल भूखण्ड (1250 वर्ग मीटर से 6324 वर्ग मीटर)	राजीव गांधी नगर चौका आवासीय योजना में कुल भूखण्ड (67.50 वर्ग मीटर से 354.75 वर्ग मीटर)	मल्टीस्टोरी रहवासी भूखण्ड राजीव गांधी नगर चौका योजना में कुल भूखण्ड (2464 वर्ग मीटर से 2500 वर्ग मीटर)
07	05	04	33	04
आनन्द विहार योजना ग्राम-नीलामबास में कुल भूखण्ड (270 वर्ग मीटर से 412.05 वर्ग मीटर)	व्यावसायिक खसरा नं. 701 ग्राम चौका में कुल भूखण्ड (72 वर्ग मीटर से 324 वर्ग मीटर)	अरणा विहार योजना ग्राम-बड़ली में कुल भूखण्ड (84 वर्ग मीटर से 450 वर्ग मीटर)	इरणा विहार योजना ग्राम-बड़ली में कुल भूखण्ड (61.2 वर्ग मीटर से 216 वर्ग मीटर)	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विहार आवास योजना में कुल भूखण्ड (38.33 वर्ग मीटर से 199.07 वर्ग मीटर)
05	12	19	02	26